संख्याः 1847/ई–1/तेरह–2021–18/17 (टी.सी.)

प्रेषक,

**संजय आर. भूसरेड्डी,**
अपर मुख्य सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,
आबकारी आयुक्त,
उ.प्र., प्रयागराज।

**आबकारी अनुभाग–1** **लखनऊः दिनांकः 26 नवम्बर, 2021**

विषयः–सहायक आबकारी आयुक्त (प्रवर्तन) के कार्य व दायित्व निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–4657/ग्यारह–ई.आई.बी./कार्यवृत्त विवरण/2020–21, दिनॉक 10–09–2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा सहायक आबकारी आयुक्त (प्रवर्तन) के कार्य व दायित्व निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आबकारी विभाग प्रदेश का राजस्व अर्जित करने वाला प्रमुख विभाग है। विभाग द्वारा मादक वस्तुओं के अनौषधीय उपयोग के निषेध का उन्नयन, प्रवर्तन, पर्यवेक्षण तथा मादक वस्तुओं की तस्करी पर नियंत्रण कर मादक वस्तुओं की वैधानिक बिक्री से अधिकतम राजस्व प्राप्त किये जाने के दृष्टिगत उक्त पत्र दिनॉक 10–09–2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सहायक आबकारी आयुक्त (प्रवर्तन) के कार्य व दायित्व निर्धारित किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती हैः–

## सहायक आबकारी आयुक्त (प्रवर्तन) के प्रमुख कार्य

### (अ) अधिकार एवं शक्तियां

नवगठित प्रवर्तन इकाईयां संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम–1910, उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम 1964, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 सहित अन्य अधिनियमों एवं उनके अधीन निर्मित नियमावली में प्रदत्त प्रवर्तन सम्बन्धी अधिकारों का उसी प्रकार प्रयोग कर सकेगें जिस प्रकार क्षेत्रीय अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा किया जाता है।

### ब–प्रशासनिक संरचना

नव गठित प्रवर्तन इकाई प्रभार के उप आबकारी आयुक्त के नियंत्रण में रहेंगी। इकाई का मुख्यालय प्रभार स्तर पर होगा। इकाई का अधिष्ठान सम्बन्धी एवं प्रशासनिक कार्य सम्बन्धी कार्य प्रभार के उप आबकारी आयुक्त के नियंत्रणाधीन रहेगा। उनके कार्यों की समीक्षा मुख्यालय स्तर पर ई.आई.बी. द्वारा की जायेगी। नवगठित प्रवर्तन इकाईयों में नियुक्त आबकारी निरीक्षकों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों में सहायक आबकारी आयुक्त, (प्रवर्तन) प्रतिवेदक, उप आबकारी आयुक्त, प्रभार समीक्षक एवं संयुक्त आबकारी आयुक्त, ई. आई.बी. स्वीकर्ता अधिकारी होगें। इसी प्रकार नवगठित प्रवर्तन इकाई के सहायक आबकारी

आयुक्तों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि हेतु उप आबकारी आयुक्त प्रभार प्रतिवेदक अधिकारी एवं संयुक्त आबकारी आयुक्त, ई.आई.बी. समीक्षक अधिकारी होगें तथा आबकारी आयुक्त स्वीकर्ता अधिकारी होंगे।

**स– कार्य एवं दायित्व**

नवगठित प्रवर्तन इकाई का कार्य एवं दायित्व निम्नवत निर्धारित किये जाते हैं:–

**1– प्रमुख कार्य**

**(i)** अवैध मद्यनिष्कर्षण/अवैध मदिरा की बिक्री के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही किया जाना।

**(ii)** मदिरा की तस्करी के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही किया जाना।

**(iii)** आबकारी अपराधों नारकोटिक्स पदार्थ, शीरे एवं अल्कोहल आदि की तस्करी पर प्रभावी पर अंकुश रखना।

**2– अन्य कार्य एवं दायित्व**

**(i)** प्रभार में जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री के लिए चिन्हित संदिग्ध ग्रामों की, उप आबकारी आयुक्त प्रभार द्वारा अनुमोदित सूची प्राप्त कर उप आबकारी आयुक्त प्रभार के निर्देशों पर नियमित रूप से सम्बन्धित जनपदों में जनपदीय टीम के साथ दबिश/छापेमारी की कार्यवाही करना तथा प्रत्येक वर्ष इन सूचियों को अद्यतन किये जाने में वांछित सहयोग प्रदान करना।

**(ii)** अपने स्तर पर क्षेत्र में अभिसूचना तंत्र विकसित करते हुये नारकोटिक्स, शीरा, अल्कोहल मदिरा के अवैध परिवहन, निर्माण एवं बिक्री आदि के संदिग्ध अड्डों के विरूद्ध निरोधक कार्यवाही किया जाना। क्षेत्र मे विषाक्त घटना घटित होने पर निरोधक कार्य में विफल रहने की दशा में जिला आबकारी अधिकारी के साथ–साथ प्रवर्तन इकाई में तैनात सहायक आबकारी आयुक्त का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

**(iii)** आबकारी अपराधियों एवं उनको आश्रय/प्रश्रय देने वाले व्यक्तियों को चिन्हित करना तथा उनके सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित करना और अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों को तद्नुसार अवगत कराया जाना।

**(iv)** प्रभार अन्तर्गत अवैध शराब के संदिग्ध/संम्भावित मार्गों को जिला आबकारी अधिकारी/क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक के साथ चिन्हित कर उनका विवरण/मानचित्र बनाकर अनुरक्षित किया जाना और उच्चधिकारियों को तद्नुसार अवगत कराया जाना।

**(v)** मुखबिरी या शिकायत प्राप्त होने पर अथवा युक्ति–युक्त संदेह के आधार पर सहायक आबकारी आयुक्त अपने कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत थोक एवं फुटकर आबकारी दुकानों का निरीक्षण इस प्रतिबन्ध के साथ कर सकेगें कि वे निरीक्षण से पूर्व इसकी सूचना उप आबकारी आयुक्त प्रभार को देगें तथा वे केवल अवैध/नकली मदिरा और अवैध मदिरा की बरामदगी होने पर यथानियम अग्रेत्तर कार्यवाही करेगें। ऐसे

समय पर किये गये निरीक्षण में प्रशमन योग्य अनियमितताओं के पाये जाने पर सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी को सूचित करेंगे, जिस पर जिला आबकारी अधिकारी के स्तर से कार्यवाही की जायेगी।

**(vi)** उच्चाधिकारियों यथा उप आबकारी आयुक्त प्रभार, संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन एवं ई.आई.बी. द्वारा उपरोक्तानुसार वर्णित कार्यो के अतिरिक्त अन्य दायित्व सीधे तौर पर सौपें जाने पर उनका यथा निर्देश अनुपालन करते हुये कृत कार्यवाही से अवगत कराना।

**(vii)** किसी जनपद अथवा किसी इकाई को अतिरिक्त बल की आवश्यकता होने पर उच्चाधिकारियों के निर्देश पर सम्बन्धित को सहयोग प्रदान करना।

**(viii)** इकाई के सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा प्रतिमाह कृत कार्यवाही की सूचना उप आबकारी आयुक्त प्रभार के माध्यम से संयुक्त आबकारी आयुक्त, ई.आई.बी. को प्रेषित की जायेगी।

**(ix)** कार्यक्षेत्र में पड़ने वाली चीनी मिलों/आसवनियों एवं अन्य इकाईयों का निरीक्षण प्रवर्तन इकाईयों द्वारा, शासन द्वारा निर्धारित निरीक्षण मानकम के अनुसार चक्रानुक्रम में उप आबकारी आयुक्त, प्रभार के निर्देशन में किया जायेगा।

अतः कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

**(संजय आर. मूसरेड्डी)**
अपर मुख्य सचिव

**संख्याः 1847 (1)ई–1/तेरह–2021, तद्दिनॉक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित (द्वारा आबकारी आयुक्त):–

1. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त उप आबकारी आयुक्त, प्रभार, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त सहायक आबकारी आयुक्त (प्रवर्तन), उत्तर प्रदेश।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

**(राजवीर सिंह)**
अनु सचिव